न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 09/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00077

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सबलवीरसिंह 2. हिम्मतवीरसिंह पुत्रगण रघवीरसिंह, जातिगण राजपुत निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/3/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नायब तसहीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1505/2019–20 बअनवान सरकार बनाम सबलवीरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालात का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि पटवार हल्का साण्डेराव ने एक रिपोर्ट ग्राम सांडेराव चक–।। तहसील सुमरेपुर के खसरा नंबर 1184 कुल रकबा 0.047 किस्म गैर मुमकीन रास्ते की भूमी का अनाधिकृत कब्जा काश्त कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट करने पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जैर अपील निर्णय दिनांक 06.03.2020 को नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया जो निम्न आधारों पर खारिज योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरण दर्ज कर तारीख पेशी दिनांक 05.03.2020 बमुकाम सुमेरपुर दी गई। जहाँ अपीलांट के हस्ताक्षर करवाकर आईन्दा पेशी की सूचना पर पेशी पर उपस्थित होने की हिदायत के साथ भेज दिया गया। प्रकरण वर्षो पुराना कब्जा होने से नियमितिकरण का निवेदन किया तथा उक्त भूमी की पैमाईश का भी निवेदन किया जिससे वास्तविक सही स्थिति का भी पता लग सके। मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने पैमाईश बाबत सूचित करने का कहा गया। लेकिन कोई भी मौके पर पैमाईश हेतु उपस्थित नही हुआ। जब नायब तहसीलदार जी द्वारा बुलाने पर गया तो उक्त निर्णय की जानकारी दी गई। अपीलाधीन निर्णय भूमी की बिना पैमाईश किये तथा मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना मनमाना आदेश किया गया है। जो निरस्त योग्य है मौके पर रास्ता उक्त जगह पर है ही नहीं। जैर अपील आराजी से काफी आगे की और है। अपीलांटगण का काफी वर्षो से कब्जा है जैर अपील आराजी नियमन योग्य होने के बावजूद नियमन नहीं कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। जैर अपील आराजी के संबंध में अपीलांटगण द्वारा अन्य राजस्व न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने एवं स्थगन होने बाबत निवेदन करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में होने के बावजूद भी जैर अपील निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आराजी अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमी है इस बाबत आपस में पारिवारिक बंटवाड़ा भी हो रखा है राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज किया जाने के कारण यह कार्यवाही की गई है जो निरस्त योग्य है। अपीलांटगण को सुनवाई हेतु नोटिस तामिल नहीं होने के बावजूद भी गलत रूप से तामील मान ली गई एवं विधिवत तामील नहीं होते हुए भी एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय पारित कर दिया गया अपीलार्थी को इसके पूर्व कभी भी धारा 91 के तहत मुकदमा दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई। पश्चातवृती अतिक्रमण बाबत नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण के बयानों में भी पूर्व में प्रकरण दर्ज होने का अभिकथन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के मात्र अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाकर पारित कर दिया गया है। जो अपास्त फरमाया [illegible]

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि [illegible] हल्का साण्डेराव ने अपीलांटगण द्वारा ग्राम साण्डेराव [illegible] सुमेरपुर में खसरा नम्बर 1184 कुल रकबा 0.047 [illegible] अनाधिकृत रूप से क[illegible]ने बाबत रिपोर्ट पेश करने पर अन्तर्गत धारा 91 राज[illegible] भू राजस्व अधिनियम [illegible] प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अपीलार्थीगण के पिता द्वारा तामील किया हुआ है। अपीलांटगण की ओर से मातहत अदालत में वकील भी मुर्कर किया गया तथा 24.02.2020 के बाद उनके अधिवक्ता की मौजूदगी में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

05.03.2020 को बयान पटवार हल्का साण्डेराव व भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव के लिए गए। तथा उनके वकील द्वारा जबाब पेश किया गया तथा समय चाहने पर दिया जाकर दिनांक 6.03.2020 को प्रकरण में वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस की गई। तत्पश्चात निर्णय किया गया। जिसे यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवार हल्का साण्डेराव द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर मातहत अदालत नायबत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज कर अप्रार्थीगण को इसी भूमी पर वर्ष 2075 में अतिचार किए जाने का उल्लेख करते हुए वर्ष 2076 में पश्चातवृती अतिचार करने बाबत नोटिस दिया गया।

अपीलांट द्वारा मातहत अदालत में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता का वकालतनामा मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है इस प्रकार अपीलांटगण को तलब करने की कार्यवाही मातहत अदालत द्वारा की गई एवं सभी को इस बात की जानकारी थी। उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव दोनों के बयान दर्ज किए गए। अपीलांटगण सबलवीरसिंह एवं हिम्मतवीरसिह पुत्रगण रघवीरसिंह द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रकरण में जवाब भी पेश किया गया फिर प्रकरण में बहस हेतु भी एक अवसर दिया गया तथा बाद सुनने बहस अपील में निर्णय पारित किया गया इस प्रकार यह कहना पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया जो अनुचित व सरासर गलत है। पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट करने पर नायब तहसीलदार (सम्बन्धित) अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने मे सक्षम है। अपीलांटगण द्वारा किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित स्थगन की प्रति अथवा भूमी के पुश्तैनी हक की होने बाबत दस्तावेज न तो मातहत अदालत में पेश किया न ही इस न्यायालय में आदिनाँक पेश किये गये इससे जाहिर है कि किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है अपीलार्थी का यह कथन भी गलत व कपोल कल्पित है। मातहत अदालत द्वारा पूर्ववृती अतिक्रमण करने एवं अपीलांटगण को बेदखल किया गया इस बाबत न केवल पश्चातवृती अतिक्रमी होने का नोटिस ही जारी किया गया बल्कि विगत वर्ष 2017 व 2018 में अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया है बल्कि उनके प्रकरण संख्या एवं आरोपित जुर्माने का वर्ष का भी उल्लेख अपने निर्णय में किया है इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांटगण आदतन अतिक्रमी है तथा जैर अपील भूमी नियमन आवंटन योग्य नहीं होने बाबत भी जिक्र अपने निर्णय में किया है। मातहत अदालत द्वारा कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की गई है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार की कार्यवाही अतिचारी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने तथा अतिक्रमण की प्रवृति को हतोत्साहित करने हेतु की गई है जो विधी सम्मत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज कि जाती है तथा नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1505/2019–20 बअनवान सरकार बनाम सबलवीरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested